न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी जिला —बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2022/64 (42/22) दर्ज तिथिः— 23.03.2022

1. भाखराराम उर्फ केसाराम पुत्र दौलाराम
   निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.................प्रार्थी

बनाम

1. उम्मेदाराम पुत्र रामजीराम
2. घमण्डाराम पुत्र दौलाराम
3. धर्माराम पुत्र लुम्बाराम
4. नारणाराम पुत्र रामजीराम
5. निम्बाराम पुत्र लुम्बाराम
6. पूनमाराम पुत्र हरीगाराम
7. प्रतापाराम पुत्र रामजीराम
8. बुधराम पुत्र हरीगाराम
9. भजनलाल पुत्र हरीगाराम
10. भभूताराम पुत्र हरीगाराम
11. राजूराम गोदपुत्र रूपाराम
12. वगाराम पुत्र रामजीराम
13. सुगणीदेवी पुत्री रूपाराम
14. सुरतीदेवी पत्नी हरीगाराम
15. सोनाराम पुत्र लुम्बाराम
16. हीरोंदेवी पत्नी लालूराम
    जातियान विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।
17. शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी शाखा गुढामालानी।
18. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा गुढामालानी।
19. तहसीलदार, गुढामालानी जिला—बाड्मेर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः—श्री पूनमाराम विश्नोई।
अप्रार्थी अधिवक्ताः— पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136
राज० भू—राजस्व अधि0—1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.30 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 हाल आराजी खाता संख्या 108/8.1989 है0, 110/5.1557 है0, 110/1/0.1214 है0, 111/2.5819 है0, 296/2.3634 है0, 298/1/0.0971 है0, 300/1/0.1133 है0, 303/9.2592 है0, 340/16.3007 है0, 367/326/0.0920 है0, 368/326/6.6743 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 50.9579 है0 वाके मौखावा खुर्द तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 वाके ग्राम मौखाबा खुर्द तहसील गुढामालानी में प्रार्थी के नाम का अंकन केसाराम के स्थान पर भाखरराम अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में केसाराम दर्ज है। जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड में केसाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा इकवालिया जबाव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम मौखाबा खुर्द तहसील गुढामालानी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1. भाखरा पुत्र दौला हिस्सा 1/15 जाति विश्नोई साकिन देह खातेदार 2. अन्य खातेदारान	168	108	8.1989
		110	5.1557
		110/1	0.1214
		111	2.5819
		296	2.3634
		298/1	0.0971
		300/1	0.1133
		303	9.2592
		340	16.3007

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.30 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

		367/326	0.0920
		367/326	6.6743

3. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में केसराम अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

दस्तावेज का विवरण	नाम
मतदाता पहचान पत्र	केसा
परिवार राशन कार्ड	केसाराम
आधार कार्ड	केसा
BCCB पासबुक	केसाराम
जॉब कार्ड	केसाराम

4. प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

> *उक्त प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत मुताबिक हाल जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 168 में भाखरा पुत्र दौला हिस्सा 1/15 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड में केसाराम दर्ज है। अतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड एवं मुताबिक जानकारी के आधार पर* ***भाखराराम के स्थान पर केसाराम शुद्ध किया जाना उचित होगा।*** *भाखराराम व केसाराम एक ही व्यक्ति है।*

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार गुढामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम मौखाबा खुर्द तहसील गुढामालानी में भी प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम मौखाबा खुर्द तहसील गुढामालानी प्रार्थी की आराजी का विवरण बिन्दु संख्या–3 के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में केसाराम अंकित है जो बिंदू संख्या–4 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार गुढामालानी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी नाम पूर्व में जमाबंदी में दर्ज करते समय भूल के कारण केसाराम के स्थान पर भाखराराम दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.30 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक– 30.05.2024

*नाम **भाखराराम** को कलमजन कर उसके स्थान पर **केसाराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुढामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी जिला–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.05.30 17:44:27 IST
Reason: SelfAttested